राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2022–23/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः–दिनांक 05 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक ''फार्मर रजिस्ट्री'' शिविरों का आयोजना किये जाने बाबत।

संदर्भः– वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी संख्या 332500159 दिनांक 21.02.2025, राजस्व एवं उपवेशन विभाग के पत्रांक 349 दिनांक 21.01.2025 एवं विभागीय राजकाज पत्रांक 13145977 दिनांक 22.01.2025 के क्रम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 05 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक ''फार्मर रजिस्ट्र'' शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु विभागीय राजकाज पत्रांक 13145977 दिनांक 22.01.2025 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है।

अतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज सस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु विभागीय पंत्राक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं (अ)3 XIII के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय शिविर आयोजित करने पर प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम रू. 15000/– प्रति शिविर के व्यय/उपयोग करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332500159 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अनुमोदित है।

(डॉ.जोगाराम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2022–23/ जयपुर, दिनांकः–
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव को सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परावि।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग।
12. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
13. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव–प्रथम, पंचायतीराज विभाग।
14. अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.02.21 18:52:45 IST
Reason: Approved

D:\HKV SFC\shubham\Satish Ji\Satish ji Letter.docx

RajKaj Ref No.: 13762001